220

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

नि- 3223-II-16 प्रक0 क0 ....

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

रामनेवाज विश्वकर्मा पिता स्व0 श्री नर्वदा प्रसाद विश्वकर्मा निवासी ग्राम मझगवां तहसील रामनगर जिला सतना म0प्र0 .... निगराकार

बनाम

रामाश्रय विश्वकर्मा पिता स्व0 रामबली विश्वक्कर्मा निवासी ग्राम मझगवां तहसील रामनगर जिला सतना म0प्र0 .... गैर निगराकार

<u>निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् कलेक्ट्रर सतना प्रक0 क0 65/अपील/15–16 आदेश दिनांक 29.8.2010</u>

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 7 वास दखलाकार अधि0 1980</u>

एस.पी. पाण्डे एड.
19-9-16

19.9.16

मान्यवर,

निगराकार निम्न निगरानी प्रस्तुत करता है:–

तथ्य:– यह कि निगराकार ने एस0 डि0 ओ0 रामनगर के आदेश प्रक0 क0 169अ74–14–15 पारित आदेश दिनांक 07.07.15 के विरूद्ध अपील श्रीमान् कलेक्टर सतना के समक्ष प्र0 क0 65 अपील/15–16 प्रस्तुत की थी जो आदेश दिनांक 29.8.16 द्वारा निरस्त कर दी गई उक्त आदेश की वैधता को चुनौती देने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। क्योकि आदेश मे विधिक तत्थात्मक विन्दुओं पर ध्यान न देकर आदेश पारित किया गया है जो निरस्तगी के योग्य है।

<u>निगरानी के आधार</u>

1– यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

नि0 क0 रामनेवाज विश्वकर्मा

(220)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–3223-II/16 जिला सतना

रामनेवाज विश्वकर्मा/रामाश्रय विश्वकर्मा

(1)	(2)	(3)
19-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री श्रीकांत तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 65/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29.08.10 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	